

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

68/2015/प्रा.पत्र/2015

14.07.2015

29.07.2024

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय विक्रेता/मालिक मैसर्स रजत किराणा
स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक
राज.।

2-मैसर्स रजत किराणा स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज.।

.....अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की
उप धारा 2(ii)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी व उनके अभिभाषक अनु.।

:निर्णय:-

दिनांक 29.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.03.2015 को समय 05:45 पीएम पर मैसर्स रजत किराणा स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री प्रभूदयाल विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, श्री प्रभूदयाल विजय को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रभूदयाल विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी, घी, तेल, मसाले के साथ-साथ गुड खुला (Gur Loose) के 50-50 किलोग्राम के 50 नग जूट के कट्टे में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री प्रभूदयाल विजय को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना लेने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता



श्री प्रभूदयाल विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **गुड खुला (Gur Loose)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुड खुला (Gur Loose)** 1 किलोग्राम में से 250-250 ग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-937 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-937 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/15/1370 दिनांक 22.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/198/एक्ट/2015 /198 दिनांक 08.04.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **गुड खुला (Gur Loose) अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार जैन एड. ने वकालतनामा पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु न तो अभिभाषक उपस्थित हुए और न ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **गुड खुला (Gur Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में




आतिरेक जिला मजिस्ट्रेट
टॉक

जुमाने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुमाने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया गुड खुला (Gur Loose) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 54 के अन्तर्गत जुमाने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)
न्याय प्रवर्धक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक-राज0